

मार्च 2024

PRS के प्रमुख हाइलाइट्स:

- **चुनाव**
 - लोकसभा और चार राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव कार्यक्रम
 - एक साथ चुनाव कराने की सफ़ारिश
- **कानून एवं न्याय**
 - विधायिका के अंदर वोट या भाषण के लिये रश्वत लेने पर विधायकों को मली छूट को समाप्त किया
- **गृह मामले**
 - नागरिकता नयिमों में संशोधन अधिसूचि
- **कॉरपोरेट मामले**
 - भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग ने प्रतबिद्धता और नपिटान नयिमों को अधिसूचि किया
- **वित्त**
 - स्व-नयिमक संगठनों हेतु रूपरेखा
 - बीमा उत्पादों के लिये वनियम अधिसूचि
 - सूचकांक प्रदाताओं के लिये नयिम
 - लघु और मध्यम REIT के लिये रूपरेखा
- **उद्योग**
 - इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू वनिरिमाण को बढावा देने की योजना
 - इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना
- **पर्यावरण**
 - प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन नयिम, 2016
 - बैटरी अपशषिट प्रबंधन नयिम, 2022
- **सवास्थय**
 - उन्नयन सहायता योजना
- **नवीन एवं अकषय ऊर्जा**
 - राष्ट्रीय हरति हाइड्रोजन मशिन
- **वाणजिय**
 - उत्तर पूर्व परविरतनकारी औद्योगीकरण योजना
 - यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर
- **कोयला**
 - अंतर-मंत्रालयी समितिने कोयला आयात प्रतस्थिापन पर रपौर्ट जारी की

चुनाव

लोकसभा और चार राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव कार्यक्रम

- **भारत का निरिवाचन आयोग** ने लोकसभा के आम चुनाव और चार राज्य विधानसभाओं के चुनावों के कार्यक्रमों की घोषणा की।
 - **लोकसभा** चुनाव 19 अप्रैल, 2024 से 1 जून, 2024 तक सात चरणों में होंगे।
 - वोटों की गनिती 4 जून, 2024 को होगी।
- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सक्किम की **विधानसभाओं** के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे।

एक साथ चुनाव कराने की सफ़ारिश

- केंद्र सरकार द्वारा गठित **उच्च स्तरीय समिति** ने एक साथ चुनाव पर अपनी रपॉर्ट प्रस्तुत की।
- इसकी संदर्भ की शर्तों में व्यवहार्यता की जाँच करना और एक ही समय में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिये एक रूपरेखा का सुझाव देना शामिल था।
- समिति के मुख्य नष्कर्षों और सुझावों में नमिन्लखिति शामिल हैं:
 - **एक साथ चुनाव का औचित्य**
 - एक साथ चुनाव **आदर्श आचार संहिता** के लागू होने के कारण होने वाले व्यवधान और नीतगित गतहिन्ता को कम करके शासन में स्थिरता तथा पूर्वानुमान सुनिश्चित करेंगे।
 - एक साथ चुनाव से लागत कम करने और मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी।
 - एक साथ चुनाव से उच्च आर्थिक विकास, कम मुद्रास्फीति, निवेश में वृद्धि और सरकारी व्यय की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
 - **एक साथ चुनाव का कार्यान्वयन:**
 - **लोकसभा** के अगले आम चुनाव के समय, एकमुश्त उपाय के रूप में शेष कार्यकाल की परवाह किये बिना, सभी राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों को भंग कर दिया जाना चाहिये। इससे सभी चुनाव एक साथ हो जाएंगे।
 - समिति ने लोकसभा और सभी **राज्य विधानसभाओं** के चुनाव एक ही समय पर तथा इन चुनावों के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की सफ़ारिश की।
 - मध्यावधि चुनाव की स्थिति में कम अवधि के लिये नए सत्र से चुनाव कराए जाने चाहिये। घटा हुआ कार्यकाल अगले एक साथ चुनाव तक पाँच साल के चक्र की शेष अवधि के बराबर होगा।

कानून एवं न्याय

वधायिका के अंदर वोट या भाषण के लिये रशिवत लेने पर वधायकों को मली छूट को समाप्त किया

- संविधान संसद सदस्यों (सांसदों) और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों (MLA/MLC) को वधायिका में उनके भाषणों तथा वोटों के लिये आपराधिक मुकदमा चलाने से छूट प्रदान करता है (अनुच्छेद 105 और 194 के तहत)।
- वर्ष 1998 में **सर्वोच्च न्यायालय** ने संसद में अवशिवास प्रस्ताव पर वोट के लिये सांसदों को रशिवत देने के एक मामले की सुनवाई की। उन्होंने **अनुच्छेद 105(2)** के तहत आपराधिक मुकदमा चलाने से छूट प्राप्त है।
 - तर्क यह था कि रशिवत लेना और वोट देना एक-दूसरे से संबंधित हैं तथा इसलिये, वोट देने की छूट रशिवत पर भी लागू होती है।
 - न्यायालय ने आगे कहा कि एक सांसद जिसने रशिवत ली लेकिन सदन में मतदान से अनुपस्थिति रहा, उसे ऐसी छूट प्राप्त नहीं है।
- **सर्वोच्च न्यायालय की सात-न्यायाधीशों** की पीठ ने कहा कि कोई वधायक वधायिका में वोट या भाषण के संबंध में रशिवतखोरी के आरोप में अभियोजन से **अनुच्छेद 105 और 194** के तहत छूट नहीं मांग सकता है।
 - रशिवतखोरी का अपराध तब पूरा होता है जब वधायक रशिवत स्वीकार कर लेता है।

गृह मामले

नागरिकता नयिमों में संशोधन अधिसूचति

- गृह मंत्रालय ने **नागरिकता (संशोधन) नयिम, 2024** को अधिसूचति किया।
- यह **नागरिकता (संशोधन) अधिनयिम, 2019** के अनुसार नागरिकता के लिये प्रक्रिया प्रदान करने हेतु **नागरिकता नयिम, 2009** में संशोधन करते हैं।
- वर्ष 2019 का संशोधन अधिनयिम अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हद्दि, पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई या सिख अवैध प्रवासियों को नागरिकता का पात्र बनाता है।
- इसके लिये यह ज़रूरी है कि उन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो।
- वर्ष 2024 के नयिमों की मुख्य वशिषताओं में नमिन्लखिति शामिल हैं:
 - **आवश्यक दस्तावेज़:**
 - आवेदक को अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश सरकार द्वारा जारी राष्ट्रियता के किसी एक प्रमाण की एक प्रतिलिपि प्रदान करनी होगी। इनमें **पासपोर्ट, जन्म प्रमाण-पत्र**, किसी भी प्रकार के पहचान दस्तावेज़, **लाइसेंस या भूमि रिकॉर्ड** की प्रतिलिपि शामिल है।
 - आवेदक को नरिदषिट दस्तावेज़ों में से कोई भी एक प्रदान करना होगा जो साबति करता है कि उसने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। इनमें भारत में आगमन पर **वीजा** और आवरणन टिकट की प्रतिलिपि, भारत में जारी **रेशन कार्ड**, भारत में पंजीकृत रेंटल एग्रीमेंट, भारत में जारी **बीमा पॉलिसी**, या सरकार या न्यायालय द्वारा आवेदक को आधिकारिक टिकट के साथ जारी किया गया कोई पत्र शामिल है।
 - आवेदक को अपने धर्म की घोषणा करते हुए एक पात्रता प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसे स्थानीय स्तर पर प्रतषिठति सामुदायिक संस्थान द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये।
- **नागरिकता का सत्यापन और उसे प्रदान करना:**
 - कषेत्राधिकार के वरषिट अधीक्षक या डाक अधीक्षक की अध्यक्षता में एक ज़िला-स्तरीय समिति, आवेदन का सत्यापन करेगी और नषिठा की शपथ दिलाएगी।

- यह प्रासंगिक दस्तावेजों को सत्यापन के लिये किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के जनगणना संचालन नदिशक की अध्यक्षता वाली एक अधिकार प्राप्त समिति को प्रस्तुत करेगा।
- संतुष्ट होने पर अधिकार प्राप्त समिति आवेदक को नागरिकता प्रदान करेगी।
- वर्ष 2009 के नियमों के तहत, आवेदन संबंधित कलेक्टर को प्रस्तुत किये जाते हैं। वह आवेदन का सत्यापन करता है और फरि इसे राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन को भेज देता है।
- इसके बाद आवेदन केंद्र सरकार को भेजा जाता है, जो सभी जाँच पूरी करने के बाद नागरिकता प्रदान करती है।

कॉर्पोरेट मामले

भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग ने प्रतबिद्धता और नपिटान नियमों को अधिसूचि कयिा

- [भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग](#) (Competition Commission of India- CCI) ने **भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (प्रतबिद्धता) वनियम, 2024** और **भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (नपिटान) वनियम, 2024** को अधिसूचि कयिा।
- इन वनियमों को **प्रतस्पर्द्धा अधनियम, 2002** के तहत अधिसूचि कयिा गया है, जसिे प्रतबिद्धता और नपिटान प्रतबिद्धता ढाँचे के लयि वर्ष 2023 में संशोधति कयिा गया था।
- संशोधति अधनियम उद्यमों को कुछ प्रतबिद्धताओं (जैसे- बाज़ार व्यवहार में परिवर्तन) या भुगतान नपिटान की पेशकश करने की अनुमति देता है।

वर्ष 2024 वनियमों की मुख्य वशिषताओं में शामिल हैं:

- **प्रतबिद्धता:** जाँच शुरू करने के लयि CCI द्वारा पारति आदेश प्राप्त होने के 45 दनिों के भीतर CCI के पास एक प्रतबिद्धता आवेदन दाखलि कयिा जाना चाहयि।
- पूरी प्रक्रयिा प्रतबिद्धता आवेदन की प्राप्त से 130 कार्य दविसों में पूरी होनी चाहयि।
- प्रस्तावति प्रतबिद्धताओं की प्रभावशीलता को नमिनलखिति कारकों के आधार पर मापा जाएगा:
 - कथति उल्लंघन की प्रकृति, अवधि और सीमा।
 - यद प्रतबिद्धता की शर्तें प्रतस्पर्द्धा संबंधी चतिाओं को दूर कर करती हैं।
 - अगर प्रतबिद्धता की शर्तें बाज़ारों को अधिक प्रतस्पर्द्धा बनाती हैं।
- **नपिटान:** कथति उल्लंघनों पर CCI के महानदिशक की जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के 45 दनिों के भीतर नपिटान आवेदन कयिा जाना चाहयि।
- संपूर्ण प्रक्रयिा नपिटान आवेदन प्राप्त होने के 180 कार्य दविसों के भीतर पूरी की जानी चाहयि। नपिटान राशिका निर्धारण आधार राशपर 15% की छूट लागू करके कयिा जाएगा।

वतिा

स्व-नयामक संगठनों हेतु रूपरेखा

- [भारतीय रजिस्व बैंक \(RBI\)](#) ने वनियमति संस्थाओं के लयि [स्व-नयामक संगठनों](#) (Self-regulatory Organizations- SRO) की मान्यता हेतु एक रूपरेखा जारी की।
- RBI की वनियमति संस्थाओं में बैंक, गैर-बैंकिग वतिा कंपनयिाँ और भुगतान प्रणाली ऑपरेटर शामिल हैं।
- SRO तकनीकी वशिषज्जता और नयामक नीतयिों को तैयार करने में मदद करके, नयिमों का असर बढ़ा सकते हैं।

प्रमुख वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **मान्यता की प्रक्रयिा:** कोई इच्छुक SRO मान्यता के लयि **RBI** को आवेदन कर सकता है। इसके लयि उसे कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। इनमें नमिनलखिति शामिल हैं:
 - गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत होना।
 - कषेत्र का प्रतिनिधित्व करना और नरिदषिट सदस्यता होना।
 - इसके नदिशकों के पास पेशेवर क्षमता होनी चाहयि और नषिपक्षता तथा अखंडता की उनकी साख होनी चाहयि।
- **नरिदषिट सदिधांतों का अनुपालन:** एक SRO को:
 - नैतिक और शासन मानकों को नरिधारति करने के लयि सदस्यता समझौतों से अधिकार प्राप्त करना चाहयि।
 - अपने सदस्यों के आचरण के लयि नयिम बनाने हेतु उद्देश्यपूर्ण और परामर्शी प्रक्रयिाएँ स्थापति करनी चाहयि।
 - अनुपालन संस्कृति में सुधार के लयि मानक वकिसति करना चाहयि।
 - कषेत्र की प्रभावी नगिरानी के लयि नगिरानी वधियिाँ होनी हैं।
- **सदस्यों के प्रति ज़मिमेदारयिाँ:** अपने सदस्यों के प्रति SRO की प्राथमकि ज़मिमेदारी सर्वोत्तम व्यावसायकि पद्धतयिों को बढ़ावा देना होगा।

अन्य ज़मिमेदारयिाँ में नमिनलखिति शामिल हैं:

- अपने सदस्यों के लयि आचार संहतिा तैयार करना और उसके अनुपालन की नगिरानी करना।
- एक समान और गैर-भेदभावपूर्ण सदस्यता शुल्क संरचना वकिसति करना।

- अपने सदस्यों के लिये शिकायत नविवरण और विवाद समाधान/मध्यस्थता ढाँचे की स्थापना करना ।
- वैधानिक/नियामक प्रावधानों की जानकारी को बढ़ावा देना ।
- **सदस्यता के मानदंड:** क्षेत्र का समग्र रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिये SRO के पास सभी स्तरों पर सदस्यों का अच्छा मशिरा होना चाहिये ।
 - सदस्यता मानदंड RBI द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।
 - SRO की सदस्यता स्वेच्छक होगी । SRO को मान्यता प्रदान करने के दो वर्ष के भीतर न्यूनतम निर्धारित सदस्यता प्राप्त की जानी चाहिये ।

बीमा उत्पादों के लिये वनियम अधिसूचि

- **भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)** ने **इरडाई (बीमा उत्पाद) वनियम, 2024** को अधिसूचि किया ।
- इसमें कई नियमों को नरिस्त करने का प्रयास किया गया है, जनिमें नमिनलखिति शामिल हैं:
 - इरडाई (सूक्ष्म बीमा) वनियम, 2015
 - इरडाई (स्वास्थ्य बीमा) वनियम, 2016
 - इरडाई (यूनटि लकिड इश्योरेंस प्रोडक्ट्स) वनियम, 2019

मुख्य वशिषताओं में नमिन शामिल हैं:

- **डज़ाइन और मूल्य नरिधारण:**
 - बीमा उत्पादों के डज़ाइन और मूल्य नरिधारण को कुछ मानदंडों का पालन करना चाहिये ।
 - इनमें नमिनलखिति शामिल हैं:
 - ग्राहकों की बढ़ती जोखमि कवरेज ज़रूरतों को सुनिश्चि करना ।
 - समझने में आसान उत्पाद ।
 - प्रीमियम दरें अत्यधिक, अपर्याप्त या भेदभावपूर्ण नहीं होनी चाहिये ।
 - उत्पादों का मूल्य नरिधारण करते समय सभी प्रासंगिक जोखमिों को ध्यान में रखना ।
- उत्पाद प्रबंधन समिति: प्रत्येक बीमाकर्त्ता के बोर्ड को एक उत्पाद प्रबंधन समिति का गठन करना होगा ।
- समिति की ज़मिमेदारियों में नमिनलखिति सुनिश्चि करना शामिल है:
 - लक्ष्य बाज़ार के लिये उचित उत्पाद डज़ाइन
 - वनियामक अनुपालन
 - उत्पाद प्रदर्शन की समय-समय पर समीक्षा
 - अगर आवश्यक हो, तो उत्पाद में संशोधन या वापसी ।
- उत्पादों की समीक्षा: सभी बीमा उत्पादों की वर्ष में कम-से-कम एक बार नयिक्त बीमांकिक द्वारा समीक्षा की जानी चाहिये ।
- समीक्षा में नमिनलखिति पर वचिर किया जाना चाहिये:
 - सभी हतिधारकों की उचित अपेक्षाएँ ।
 - उत्पाद की वतितीय व्यवहार्यता ।
 - उत्पाद के तहत उभरता जोखमि और अनुभव ।
 - कोई अन्य प्रासंगिक कारक ।

सूचकांक प्रदाताओं के लिये नयिम

- **भारतीय प्रतभूति और वनियम बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI)** ने **सेबी (सूचकांक प्रदाता) वनियम, 2024** को अधिसूचि किया ।
- इसमें नमिनलखिति शामिल हैं:
 - सूचकांक की गणना ।
 - सूचकांक पद्धतिका नरिधारण ।
 - सूचकांक का प्रसार ।
- वनियम उन सूचकांक प्रदाताओं पर लागू होंगे जो भारतीय प्रतभूति बाज़ार में उपयोग के लिये किसी मान्यता प्राप्त भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्रतभूतियों के महत्त्वपूर्ण सूचकांकों का प्रबंधन करते हैं ।
- प्रमुख वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:
 - **पंजीकरण:**
 - सूचकांक प्रदाताओं को सेबी के साथ पंजीकृत होना होगा ।
 - मौजूदा सूचकांक प्रदाताओं के पास पंजीकरण के आवेदन के लिये छह महीने का समय होगा ।
 - आवेदकों को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
 - कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत नगिमति इकाई
 - न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 25 करोड़ रुपए ।
 - सूचकांक प्रदाता के तौर पर काम करने के लिये आवश्यक बुनयादी ढाँचा और मानव संसाधन ।
 - **नरीक्षण समिति:**
 - सूचकांक प्रदाता को बेंचमार्क नरिधारण प्रक्रिया को नयित्तरि करने के लिये एक नरीक्षण समिति बनानी होगी । समिति में वशिष से संबंधित अनुभव और ज्ञान रखने वाले व्यक्ति शामिल होंगे ।

- समिति के कार्यों में नमिनलखिति शामिल हैं:
 - सूचकांक डज़ाइन या गणना पद्धति में बदलाव की आवश्यकता की समीक्षा करना ।
 - नए वित्तीय बेंचमार्क की शुरुआत की निगरानी करना ।
 - किसी सूचकांक को बंद करने की प्रक्रियाओं की समीक्षा करना ।
- **सूचकांक की गुणवत्ता:**
 - सूचकांक डज़ाइन को अंतरनिहित हति का प्रतिनिधित्व करना चाहिये जिसे सूचकांक मापने का प्रयास कर रहा है ।
 - सूचकांक की गणना उस डेटा का उपयोग करके की जानी चाहिये जो अंतरनिहित ब्याज का प्रतिनिधित्व करने के लिये पर्याप्त है ।
 - डेटा इनपुट और डेटा के उपयोग के तरीके से संबंधित दिशा-निर्देश सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होने चाहिये ।
- **ववाद निवारण:** सूचकांक प्रदाता को सूचकांक प्रदाता और ग्राहकों के बीच ववादों के लिये एक ववाद समाधान तंत्र बनाना होगा ।

लघु और मध्यम REIT के लिये रूपरेखा

- **भारतीय परतभित और वनियम बोर्ड** (Securities and Exchange Board of India- SEBI) ने सेबी (रयिल एस्टेट निवेश ट्रस्ट) वनियम, 2014 में संशोधनों को अधिसूचित किया है ।
- **रयिल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT)** रयिल एस्टेट परसिपततियों में निवेश करने के लिये निवेशकों से धन एकत्र करते हैं ।
- वर्ष 2024 के संशोधनों के तहत प्रमुख परिवर्तनों में नमिनलखिति शामिल हैं:
- **REIT की परिभाषा:**
 - वर्ष 2014 के वनियम REIT को वनियमों के तहत पंजीकृत ट्रस्ट के रूप में परिभाषित करते हैं ।
 - वर्ष 2024 का संशोधन निर्दिष्ट करता है कि REIT एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो रयिल एस्टेट परसिपततियों या संपत्तियों को हासिल और प्रबंधित करने के लिये कम-से-कम 200 निवेशकों से कम-से-कम 50 करोड़ रुपए एकत्र करता है । इससे निवेशकों को प्रबंधन नियंत्रण दिये बिना ऐसी परसिपततियों से उत्पन्न आय प्राप्त करने का अधिकार मल जाएगा ।
- **लघु और मध्यम REIT:**
 - लघु और मध्यम REIT योजना के तहत हासिल की जा सकने वाली संपत्ति का मूल्य 50 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपए के बीच होगा ।
 - REIT के निवेश प्रबंधक, उसके संबंधित पक्षों और सहयोगियों को छोड़कर, इसमें कम-से-कम 200 यूनटिधारक होने चाहिये ।
- **पात्रता:**
 - पंजीकरण के लिये लघु और मध्यम REIT को कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा, जैसे:
 - ट्रस्ट की ओर से निवेश प्रबंधक द्वारा किया जा रहा पंजीकरण आवेदन
 - निवेश प्रबंधक के पास कम-से-कम 20 करोड़ रुपए की शुद्ध संपत्ति और रयिल एस्टेट उद्योग या रयिल एस्टेट फंड प्रबंधन में कम-से-कम दो वर्ष का अनुभव
 - निवेश प्रबंधक के कम-से-कम आधे निदेशक स्वतंत्र ।

उद्योग

इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू वनिरिमाण को बढ़ावा देने की योजना

- भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों की वनिरिमाण को बढ़ावा देने की योजना को अधिसूचित किया है ।
- यह योजना वैश्विक निर्माताओं को **इलेक्ट्रिक वाहनों (EV)** पर कम आयात शुल्क की पेशकश करेगी, बशर्ते कि निर्माता घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग के लिये प्रतिबद्ध हों ।
- योजना की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:
- **पात्रता:**
 - यह योजना न्यूनतम 10,000 करोड़ रुपए के वार्षिक राजस्व वाले वैश्विक ऑटोमोटिव निर्माताओं के लिये खुली है ।
 - निर्माता को भारत में EV के निर्माण के लिये तीन वर्ष की अवधि में कम-से-कम 4,150 करोड़ रुपए (500 मिलियन USD) का निवेश करने के लिये प्रतिबद्ध होना चाहिये ।
 - निर्माता को अनुमोदन के तीन वर्षों के भीतर 25% घरेलू मूल्यवर्धन और पाँच वर्षों के भीतर 50% हासिल करना होगा ।
- **प्रोत्साहन:**
 - यह योजना निर्माताओं को अनुमोदन की तारीख से पाँच वर्ष के लिये पूरी तरह से आयातित EV पर 15% के कम आयात शुल्क की पेशकश करती है ।
 - आयातित EV का न्यूनतम लागत, बीमा और माल ढुलाई (CIF) मूल्य 35,000 USD होना चाहिये ।
- **बैंक गारंटी:**
 - निर्माता को 4,150 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी या छोड़े गए शुल्क की मात्रा, जो भी अधिक हो, जमा करने की आवश्यकता होगी ।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना

- भारी उद्योग मंत्रालय ने **इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना, 2024** को अधिसूचित किया है ।
- इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक दो और तीन-पहिया वाहनों (ई-रकिशा सहित) को तेज़ी से अपनाने को बढ़ावा देना है ।
- इसका परवियय 500 करोड़ रुपए होगा । इसे अप्रैल और जुलाई 2024 के बीच चार महीनों में लागू किया जाएगा ।
- **प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:**

◦ **उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन:**

- दोपहिया और तपिहिया के लिये 5,000 रुपए प्रति kWh का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- यह योजना मुख्य रूप से वाणिज्यिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन के लिये उपयोग किये जाने वाले वाहनों को कवर करेगी।
- हालाँकि निजी या कॉर्पोरेट स्वामित्व वाले दोपहिया EV को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।

◦

■ **प्रोत्साहनों का दावा:**

- सरकार से प्रोत्साहन का दावा करने के लिये निर्माताओं को कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा।
- इनमें नमिनलिखित शामिल हैं:
 - भारी उद्योग मंत्रालय के साथ पंजीकरण और उनके प्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल के लिये अनुमोदन।
 - प्रत्येक वाहन मॉडल प्रदर्शन और दक्षता के लिये न्यूनतम तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।
 - वाहन का निर्माण भारत में किया जाना चाहिये।

पर्यावरण

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने [प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016](#) में संशोधन अधिसूचि कियी है। संशोधन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के निर्माताओं के लिये दायित्व निर्धारित करते हैं।
- संशोधनों की मुख्य विशेषताओं में नमिन शामिल हैं:
- **बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के निर्माता:**
 - ऐसे प्लास्टिक पर भारतीय मानक ब्यूरो और भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण द्वारा जारी अलग-अलग चहिन एवं लेबल होने चाहिये।
 - कंपोस्टेबल/बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक उत्पादों के निर्माताओं को विपिनन या बकिरी से पहले [केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड](#) (Central Pollution Control Board- CPCB) से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
- **EPR पूरा करने हेतु बाध्य संस्थाएँ:**
 - प्लास्टिक उत्पादों के विक्रेताओं और निर्माताओं को वसितारति उत्पादक जमिमेदारी (EPR) दायित्वों को पूरा करना आवश्यक है।
 - वर्ष 2016 के नियमों के तहत, बाध्य संस्थाओं में प्लास्टिक पैकेजिंग के निर्माता शामिल थे।
 - संशोधनों से MSME उत्पादकों को छूट मिलती है। MSME के कुछ दायित्वों को उनके कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पूरा किया जाएगा।
 - हालाँकि MSME को पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक के उपयोग से संबंधित लक्ष्यों को पूरा करना होगा।
- **EPR प्रमाण-पत्रों का व्यापार:**
 - नियम EPR प्रमाण-पत्रों के व्यापार की अनुमति देते हैं।
 - संशोधन निर्दिष्ट करते हैं कि प्रमाण-पत्र की कीमत कुछ सीमाओं के अधीन CPCB द्वारा निर्धारित की जाएगी।
 - न्यूनतम कीमत गैर-अनुपालन संस्थाओं द्वारा देय मुआवज़े का 30% होगी और अधिकतम कीमत मुआवज़े का 100% होगी।
- **एकल उपयोग प्लास्टिक हेतु कच्चा माल:**
 - संशोधन प्लास्टिक के कच्चे माल के निर्माताओं और आयातकों को उन संस्थाओं को आपूर्तिकर्ता से रोकते हैं जो एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण करती हैं जो कानून द्वारा निषिद्ध हैं।

बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने [बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022](#) में संशोधन को अधिसूचि कियी।
- नियमों के अनुसार बैटरी उत्पादकों को बैटरी अपशिष्ट के पुनर्चक्रण और नवीनीकरण से संबंधित [वसितारति निर्माता जमिमेदारी \(EPR\)](#) दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता होती है।
- EPR दायित्वों को पूरा करने के लिये EPR प्रमाण-पत्रों का व्यापार किया जा सकता है।
- संशोधनों की मुख्य विशेषताएँ हैं:
 - **EPR प्रमाण-पत्रों का मूल्य:**
 - [केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड \(CPCB\)](#) को EPR प्रमाण-पत्रों के लिये न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य निर्दिष्ट करना होगा।
 - मूल्य को संग्रह की लागत, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और अपशिष्ट बैटरियों के अच्छे प्रबंधन में शामिल किया जाना चाहिये।
 - संशोधनों के अनुसार, EPR प्रमाण-पत्र की न्यूनतम कीमत मुआवज़े का 30% होगी और अधिकतम कीमत मुआवज़े का 100% होगी।
 - **मुआवज़े पर दिशा-निर्देश:**
 - वर्ष 2022 के नियमों के तहत CPCB को EPR दायित्वों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवज़ा वसूलने का अधिकार है।
 - वर्ष 2024 के संशोधनों के अनुसार, CPCB दिशा-निर्देश तैयार करेगा और सुझाव देगा। प्रक्रिया के दौरान CPCB कार्यान्वयन समिति से परामर्श कर सकता है।

स्वास्थ्य

उन्नयन सहायता योजना

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने संशोधति फार्मास्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। संशोधति योजना की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **एप्लिकेबिलिटी बढ़ाई गई:**
 - मूल योजना के तहत, MSME को नयामक मानकों को पूरा करने के लिये ब्याज छूट प्रदान की गई थी।
 - संशोधति योजना में फार्मास्यूटिकल मैनुफैक्चरिंग इकाइयों को शामिल करने के लिये पात्रता का वसितार किया गया है, जिसमें वे इकाइयाँ भी शामिल हैं जिनका औसत तीन साल का कारोबार 500 करोड़ रुपए से कम है।
- **नए मानकों के अनुपालन के लिये समर्थन:**
 - मूल योजना के तहत हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (HVAC) सिस्टम, स्थिरता परीक्षण कक्ष तथा स्टोराइल एरियाज़ के लिये स्वचालित पारटिकल काउंटर जैसे अपग्रेडेशन के लिये सहायता प्रदान की गई थी।
 - इन उन्नयनों के लिये सपोर्ट के अलावा, संशोधति योजना में स्वच्छ कमरे की सुविधाएँ, अपशिष्ट उपचार और पानी तथा भाप उपयोगिताएँ शामिल होंगी।
- **टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन संरचना:**
 - प्रोत्साहन की गणना वास्तविक नविश के प्रतशित के रूप में की जाएगी।
 - इसे पछिले तीन वर्षों के औसत टर्नओवर से भी जोड़ा जाएगा।

नवीन एवं अक्षय ऊर्जा

राष्ट्रीय हरति हाइड्रोजन मशिन

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने [राष्ट्रीय हरति हाइड्रोजन मशिन](#) के तहत विभिन्न योजनाओं के लिये दिशा-नरिदेश जारी किये हैं।
- मशिन के अंतर्गत योजनाओं में शामिल हैं:
 - अनुसंधान एवं विकास (R&D)।
 - इलेक्ट्रोलाइज़र वनरिमाण के लिये प्रोत्साहन (पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित करने वाला एक उपकरण)।
 - कौशल विकास।
 - हाइड्रोजन हब की स्थापना।
- **अनुसंधान एवं विकास योजना:**
 - हाइड्रोजन उत्पादन, स्टोरेज, परीक्षण और परिवहन जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिये वित्तीय सहायता (परियोजना की लागत के लिये) प्रदान की जाएगी।
 - मौजूदा क्षमताओं के आधार पर परियोजनाओं को अल्पावधि (पाँच वर्ष तक), मध्यावधि (आठ वर्ष तक) और दीर्घावधि (15 वर्ष तक) में विभाजित किया जाएगा।
- **इलेक्ट्रोलाइज़र नरिमाण:**
 - यह योजना इलेक्ट्रोलाइज़र के घरेलू वनरिमाण को समर्थन देने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।
 - पात्र होने के लिये कंपनियों की प्रतर्ता भेगावाट वनरिमाण क्षमता का शुद्ध मूल्य एक करोड़ रुपए होना चाहिये।
 - छोटे नरिमाता (30 लाख रुपए प्रतर्ता भेगावाट या उससे अधिक की कुल संपत्तिवाले) भी योजना की एक अलग कश्ति के तहत पात्र हैं।
- **हाइड्रोजन हब की स्थापना:**
 - ऐसे क्षेत्र जो हाइड्रोजन के बड़े पैमाने पर उत्पादन/उपयोग का समर्थन कर सकते हैं, उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
 - भंडारण और परिवहन तथा जल उपचार सुविधाओं जैसे मुख्य बुनियादी ढाँचे के लिये सहायता प्रदान की जाएगी।
- **कौशल विकास:**
 - इस योजना का उद्देश्य स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिये कौशल विकास तथा पाठ्यक्रम डिज़ाइन करना है।
 - 18-45 वर्ष की आयु के व्यक्ती, जो आवश्यक नौकरी मानदंडों को पूरा करते हैं, प्रशिक्षण के लिये पात्र होंगे।

वाणजिय

उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना (उन्नति), 2024 को मंजूरी दी है।
- केंद्रीय क्षेत्र की योजना 10 वर्ष की अवधि में 10,037 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ लागू की जाएगी।
- इस योजना का उद्देश्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में उद्योगों का विकास करना और रोज़गार पैदा करना है।
- योजना के तहत प्रदान किये जाने वाले प्रोत्साहनों में नमिनलखिति शामिल हैं:
 - नई और वसितारति इकाइयों के लिये पूंजी नविश प्रोत्साहन।
 - नई और वसितारति इकाइयों के लिये ब्याज छूट।
 - नई इकाइयों के लिये मैनुफैक्चरिंग से जुड़े प्रोत्साहन।

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर

- **भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ** (European Free Trade Association- EFTA) के साथ एक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- EFTA में स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लक्जेंबर्ग शामिल हैं।
- समझौते के तहत, EFTA का लक्ष्य अगले 15 वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 100 बिलियन USD तक बढ़ाना होगा।
- EFTA में भारत को सभी गैर-कृषि उत्पादों को कवर करने वाली बाजार पहुँच और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों पर टैरिफ रियायत मिलेगी।
- भारत लोहे और इस्पात की कुछ वस्तुओं, कपड़ों तथा भवन निर्माण मशीनरी जैसे सामानों पर टैरिफ रियायतें प्रदान करेगा।

कोयला

अंतर-मंत्रालयी समिति ने कोयला आयात प्रतस्थापन पर रपॉर्ट जारी की

- कोयला मंत्रालय द्वारा गठित एक अंतर-मंत्रालयी समिति ने कोयला आयात प्रतस्थापन पर एक रपॉर्ट जारी की।
- कोयले का उपयोग बड़े पैमाने पर बजिली उत्पादन (64%), इस्पात उत्पादन (8%) और सीमेंट उत्पादन (5%) के लिये किया जाता है।
- वर्ष 2030 तक कोयले की मांग 1.6 बिलियन टन होने का अनुमान है।
- प्रमुख टपिपणियों और अनुशंसाओं में शामिल हैं:
 - **कोकगि कोल के आयात में कमी:**
 - कोकगि कोल का उपयोग मुख्य रूप से इस्पात के उत्पादन में किया जाता है। इस्पात उद्योग अपने कोकगि कोल की 90% आवश्यकताओं को आयात के माध्यम से पूरा करता है।
 - इस प्रकार, समिति ने सफ़िराशि की कि इस्पात क्षेत्र को अधिक कोकगि कोयले की आपूर्ति की जानी चाहिये।
 - समिति ने यह भी सफ़िराशि की कि धुलाई क्षमता बढ़ाई जाए।
 - **गैर-कोकगि कोल आयात में कमी:**
 - नॉन-कोकगि कोल का उपयोग बजिली उत्पादन में किया जाता है।
 - समिति ने सुझाव दिया कि बॉयलर घरेलू कोयले का उपयोग करें और उन्हें घरेलू कोयले के अनुकूल बनाने के लिये रेट्रोफिट किया जाए।
 - **कोयले पर GST क्षतपूरत उपकर:**
 - 400 रुपए प्रति टन की दर से उपकर लगाया जाता है। यह मूल (घरेलू या आयातित), गुणवत्ता या स्रोत की परवाह किये बिना है।
 - इससे ऊर्जा की प्रतियुनति घरेलू कोयले की लागत अधिक हो जाती है, क्योंकि आयातित कोयले की तुलना में घरेलू कोयला आमतौर पर ऊर्जा सामग्री में कम होता है।
 - समिति ने कोयले पर GST क्षतपूरत उपकर को तर्कसंगत बनाने की सफ़िराशि की।